कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118
नैक द्वारा प्रत्यायित महाविद्यालय : ग्रेड 'बी' सीजीपीए 2.48

College Code 1210

Phone No-07726-299484 **Email-principalgovtlawcollege@gmail.com**

भाटापारा, दिनांक 20/08/2025

// पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन संबंधी सूचना//

महाविद्यालय में प्रवेशित नियमित छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष **2025–26** हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की प्रकिया **दिनांक 31/05/2025** से प्रारंभ हो रही है ऑनलाईन आवेदन करने हेतु छात्र–छात्राऐं **http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाइट पर ऑनलाईन कर ऑनलाईन आवेदन फार्म एवं समस्त दस्तावेज के हार्ड कापी के साथ **दिनांक 31/08/2025** तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट :– 01. छात्रवित्त का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाना है अतः समस्त विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि स्वयं का बचत खाता एक्टिव हो एवं **आधार सीडेड बैक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि** हों।

02. वर्ष 2025–25 में **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं** अनिवार्य रूप से **OTR नम्बर की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन** करते समय की जानी है। बिना OTR नम्बर प्रविष्टि के छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाईन करना संभव नही है।

छात्रवृत्ति आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करें –

01. कक्षा दसवीं, बारहवीं की अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
02. पिछली कक्षा की अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
03. आय प्रमाण पत्र (मार्च 2025) की स्थिति में मूलप्रति।
04. जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
05. निवास प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
06. स्वयं के बैंक खाते का पास बुक (खाता क्रमांक एवं IFSC कोड मुद्रित) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
07. आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
08. एक पासपोर्ट साईज कलर फोटो।
०९. प्रवेश रसीद की छायाप्रति स्वयं सत्यापित प्रति।

for प्राचार्य 20.08.2025
PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

एक बार पंजीकरण (ओ.टी.आर.)

जिले में संचालित सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जो ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) की पात्रता रखते है को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार एक बार पंजीकरण (ओ.टी.आर.) की अनिवार्यता इस वर्ष से प्रारम्भ कर दी गई है।

OTR (One Time Registration)

अ– सर्व प्रथम ओ.टी.आर. पंजीयन हेतु मोबाईल में नीचे दर्शित दोनों एप्लीकेशन इंस्टाल होना आवश्यक है :–

1) Download and install NSP OTR App from Google Play Store.

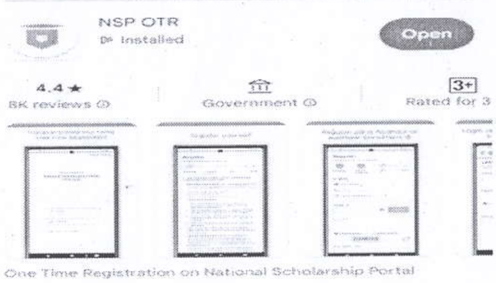

2) Download and install the Face RD App from Google Play Store.

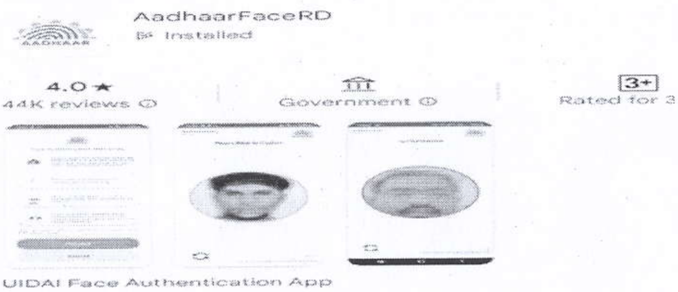

3) Complete the face-authentication using option "eKYC with FaceAuth" on NSP OTR Mobile App.

ब– ओ.टी.आर. पंजीयन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज/जानकारी आवश्यक है :–

अ.– आधार कार्ड/नंबर,

ब.– मोबाईल नंबर जो आधार से लिंक हो,

स.– बैंक खाता जो आधार से सीडिंग हो,

// प्रक्रिया //

01— अपने माबाईल में इंस्टाल एप्प **NSP OTR App** खोल लेवें,

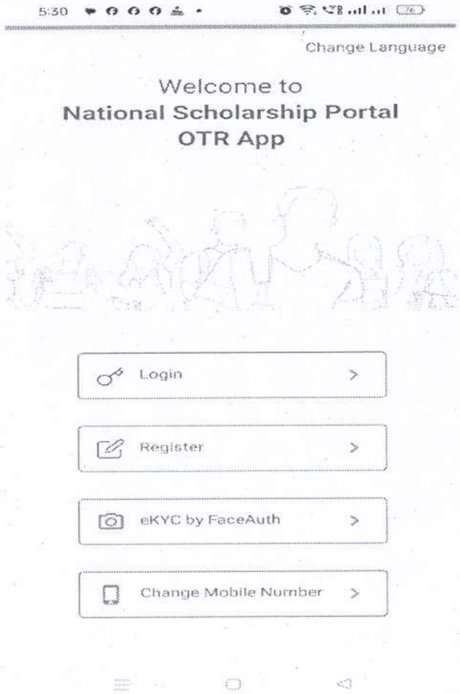

02— **Register** बिन्दु पर जाए,

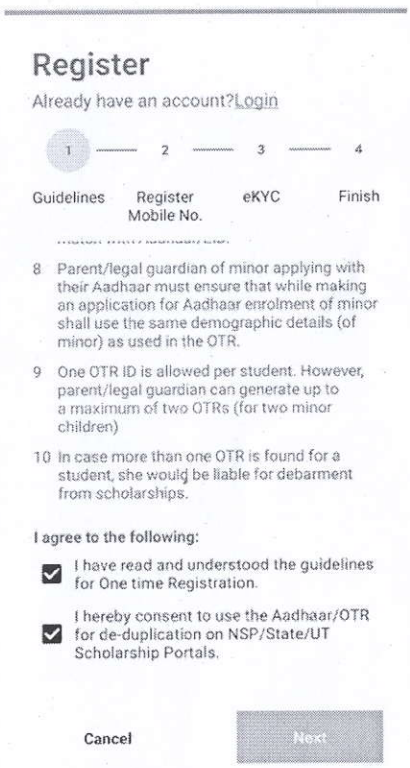

आवश्यक निर्देशों को पढ़कर नीचे चेकबाक्स में टीक कर **Next** बिन्दु पर क्लिक करें

03– दुसरे चरण में आधार से लिंक मोबाईल नंबर दर्ज करे, दर्ज मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर वेरिफाई करें।

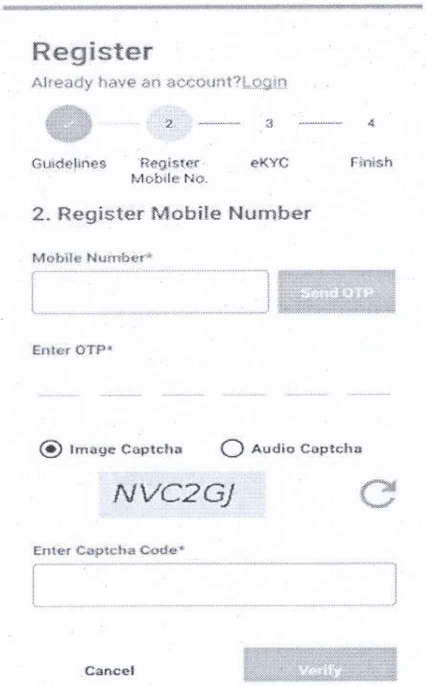

04– तीसरे चरण में आधार नंबर दर्ज करे, मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर **Next** बिन्दु पर क्लिक करें।

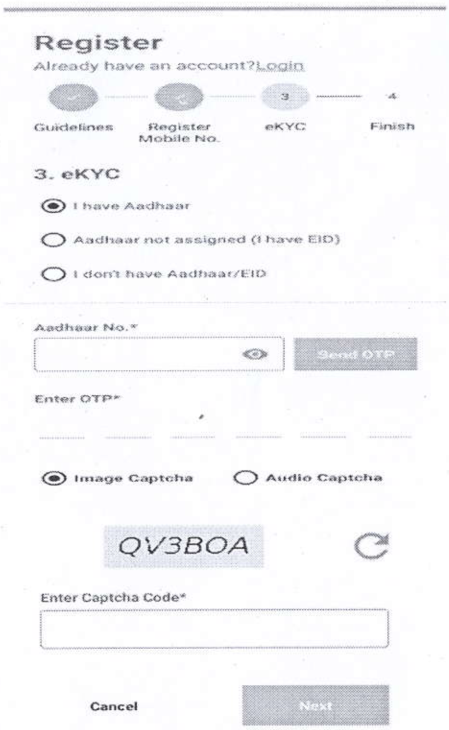

05– आधार बैंक से सीडिंग है या नहीं का संदेश प्राप्त होगा।

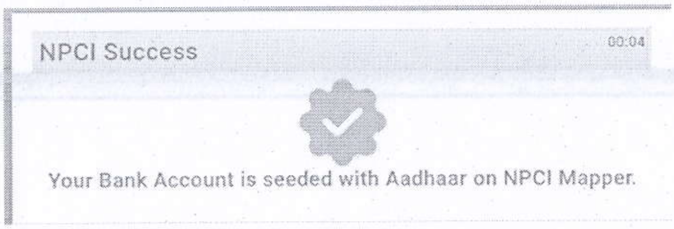

06– चौथे चरण में आधार की जानकारी प्राप्त होगी जो कि पूर्व से दर्ज है, केवल माता का नाम, पिता का नाम एवं अपना ई–मेल पता दर्ज करें, नीचे केप्चा दर्ज कर **Finish** बिन्दु पर क्लिक करें।

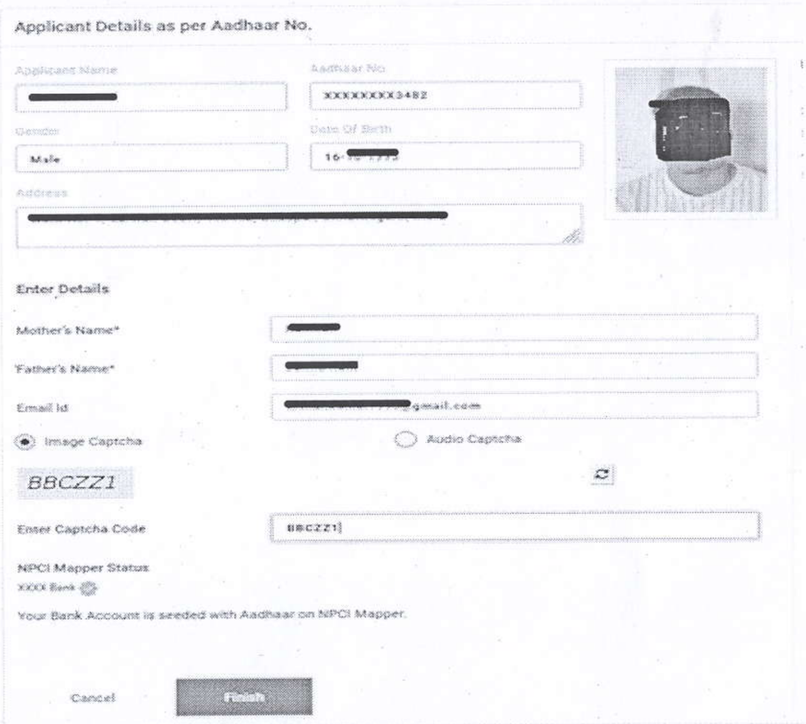

07– पंजीयन का कार्य पूर्ण करने के बाद एक **Registration No.** प्राप्त होगा।

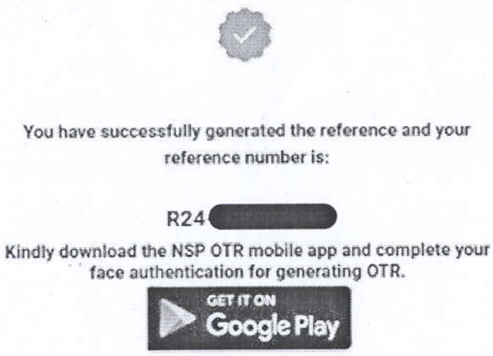

प्राप्त **Registration No.** को सुरक्षित कर लें।

08– पंजीयन का कार्य पूर्ण करने के बाद **eKYC by FaceAuth** बिन्दु पर जाए, जिसमें आपके चेहरे का सत्यापन किया जाना है। ब. में पूर्व में प्राप्त **Registration No.** को दर्ज करें।

अ.

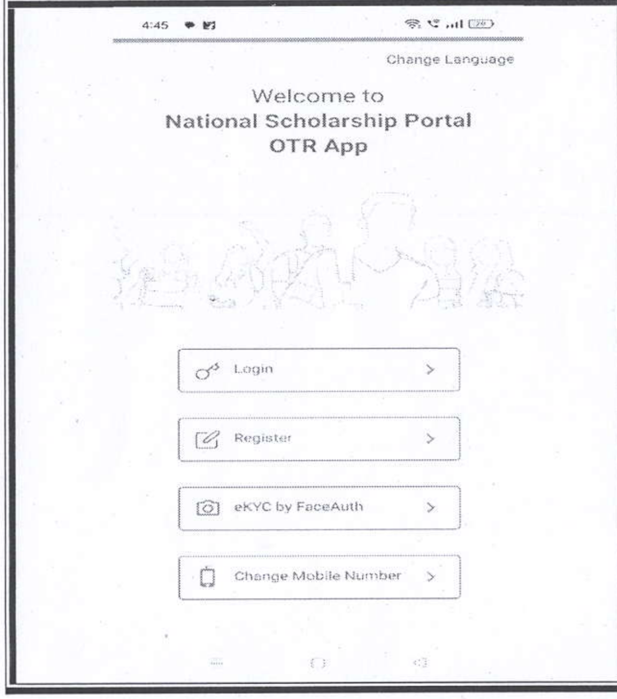

ब.

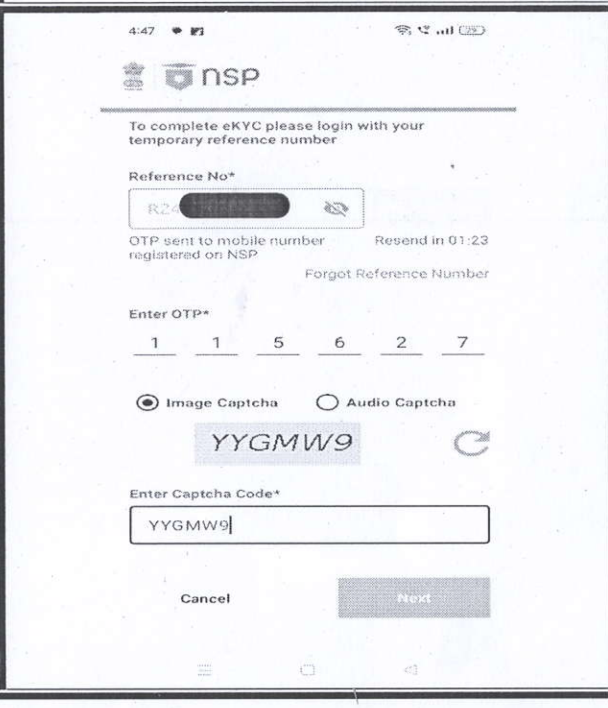

09– स. बिन्दु में आपका **Profile Details** दिखाई देगा जिसे **Proceed** करे। द. बिन्दु के चेक बाक्स में टीक लगाकर **Proceed** करे।

स.

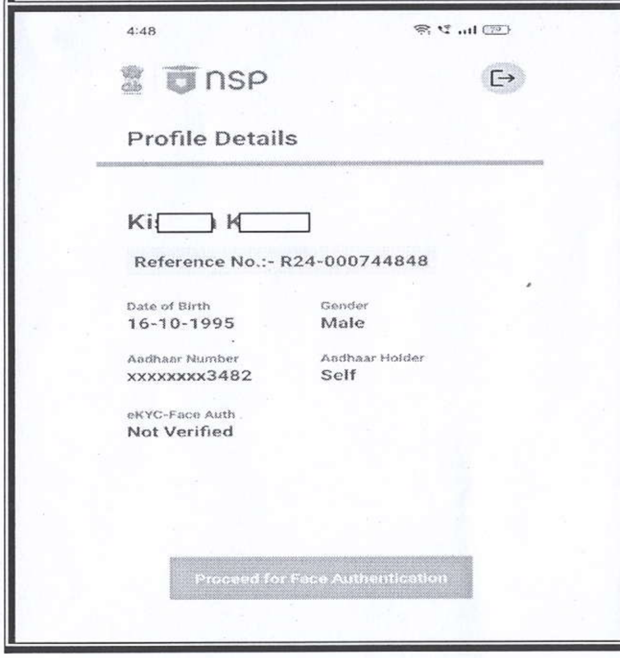

द.

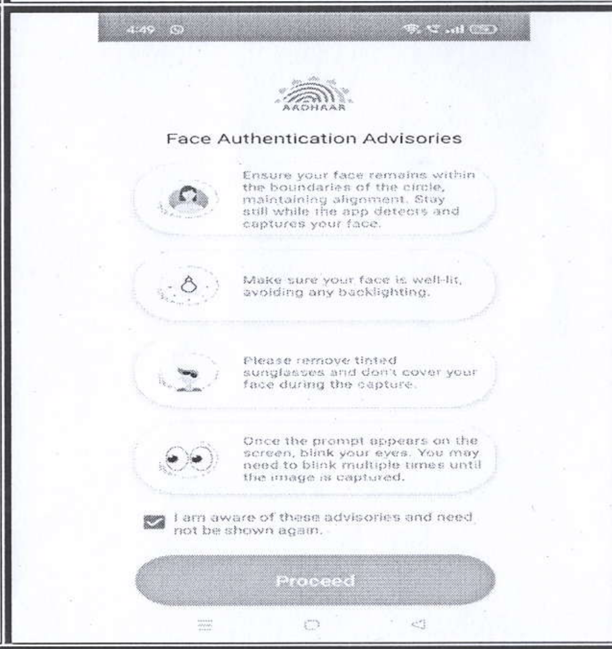

10— इ. बिन्दु से आपका **Face** का सत्यापन किया जावेगा, जिसमें ध्यान देवें की गोले का रंग हरा होने दे एवं ऑखों को खोले और बंद करें ताकि सत्यापन का कार्य सही हो सके। फ. सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाने पर आपको ओ.टी.आर. नंबर प्राप्त हो जावेगा।

इ.	फ.
	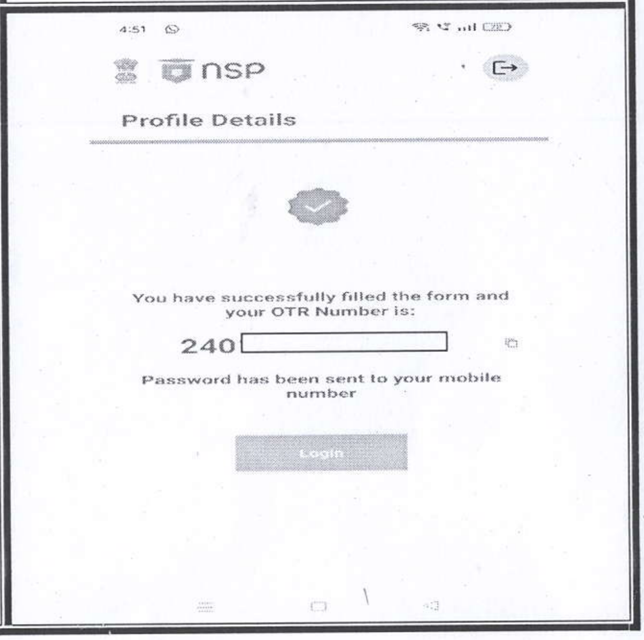

01— प्राप्त ओ.टी.आर. नंबर सुरक्षित रख लेवें। यही ओ.टी.आर. नंबर जब आपके द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरा जावेगा तब दर्ज करना होगा।

02— भारत शासन के निर्देशानुसार बिना ओ.टी.आर. नंबर के आवेदन किया जाना संभव नही है।

03— उक्त प्रक्रिया अंतर्गत जिनका आधार सीडिंग नहीं है वे विद्यार्थी भी ओ.टी.आर. नंबर प्राप्त कर सकते है। परन्तु छात्रवृत्ति आवेदन भरने से पूर्व संचालित बैंक खाता को आधार से सीडिंग निश्चित ही करा लेवें अन्यथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

04— ओ.टी.आर. की प्रक्रिया सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्याथियों के लिये आवश्यक है।